

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2367

मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की स्थापना

+2367.श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की स्थापना के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आंध्र प्रदेश में प्रत्येक पंचायत में पीएसीएस के अंतर्गत व्यवहार्य सहकारी समितियों की स्थापना का हो गया है;
- (ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में स्थापित पीएसीएस की संख्या का जिला-वार, विशेषकर डॉ. बी.आर. अंबेडकर, कोनसीमा जिले में, ब्यौरा क्या है;
- (घ) आंध्र प्रदेश में पीएसीएस के अंतर्गत स्थापित प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या का जिला-वार, विशेषकर डॉ. बी.आर. अंबेडकर, कोनसीमा जिले में, ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) आंध्र प्रदेश में पीएसीएस के अंतर्गत स्थापित प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार, विशेषकर डॉ. बी.आर. अंबेडकर, कोनसीमा जिले में, ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS) देश में त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC) संरचना के सबसे निचले क्रम पर आते हैं और इसलिए वे भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और ग्रामीण भूदृश्य को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और नाबार्ड के साथ लिंकेज द्वारा पैक्स अपने सदस्य किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं; बीज, उर्वरक जैसी कृषि निविष्टियों का वितरण करते हैं, फसल की खरीद और भंडारण सुविधाएं, आदि प्रदान करते हैं। इसके अलावा पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाकर वित्तीय रूप से संवहनीय संस्थान बनने में सक्षम करने के लिए सरकार ने उनके लिए आदर्श उपविधियां तैयार की हैं जो उन्हें 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलापों को करने की अनुमति देते हैं। अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर, पेट्रोल/डीजल आउटलेट, ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना के तहत पानी समिति, आदि के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम किया गया है। इसके अलावा पैक्स को ग्रामीण जनता को बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, विधिक सेवाएं, आदि सहित 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉमन सेवा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम किया गया है। ये पहलें उन्हें आय के अतिरिक्त और स्थायी स्रोत प्रदान करेंगे, उन्हें आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाएंगे तथा विभिन्न सेवाओं तक ग्रामीण जनता की पहुंच सुनिश्चित करेंगे।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में 1908 पैक्स सहित देश में 1,05,439 पैक्स हैं। तथापि, सभी क्षेत्रों में उनका प्रसार समान नहीं है। इस असमान प्रसार के समाधान के लिए सरकार ने आगामी पांच वर्षों में नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करने की एक योजना को दिनांक 15.02.2023 को अनुमोदित किया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य में 912 नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की गई है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में पीएसीएस के तहत कोई प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समिति स्थापित नहीं की गई है। तथापि, डॉ.बी.आर. अबेडकर कोनसीमा जिला सहित आंध्र प्रदेश राज्य में पैक्स और प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों की संख्या और उनके सदस्य, जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हो सकते हैं का जिला-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

क्रम सं.	जिला	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स)	मात्स्यिकी सहकारी समिति	मात्स्यिकी सहकारी समितियों के कुल सदस्य
1	अलूरी सीथारामा राजू	26	14	577
2	अनकापल्ली	0	17	1656
3	अनंतपुर	60	68	4752
4	अन्नामाया	39	17	699
5	बापटला	112	123	20026
6	चित्तूर	37	28	3791
7	पूर्वी गोदावरी	107	78	9120
8	एलूरू	171	198	17859
9	गुंटूर	64	20	3146
10	काकीनाडा	70	155	18759
11	कोनासीमा	166	185	19284
12	कृष्णा	173	146	23788
13	करनूल	42	33	1744
14	नंदयाल	54	78	4759
15	एनटीआर	131	80	4536
16	पालनाडु	59	34	4393
17	पार्वतीपुरम मणियम	43	44	6652
18	प्रकाशम	91	98	12851
19	एसपीएसआर नेल्लोर	77	203	34910
20	श्री सत्य साई	52	45	3205
21	श्रीकाकुलम	36	130	27698
22	तिरूपति	60	101	10827
23	विशाखापट्टनम	13	45	5926
24	विजयानगरम	65	48	7796
25	पश्चिम गोदावरी	114	89	10718
26	वाई.एस.आर.	46	23	994
	कुल	1908	2100	260466